

क्या सुधा जी इतनी खतरनाक हो गई हैं मोदी सरकार के लिए.... ?

छत्तीसगढ़ के कंपनी मालिक क्यों इनसे डरते हैं ?

आलोक प्रकाश पुतुल, बीबीसी
हिंदी डॉट कॉम, साभार

सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली सुधा भारद्वाज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पहली मुलाकात में आप उन्हें कोई घरेलू महिला मान लेने की भूल कर सकते हैं।

यह सादी उनके घर से दफ्तर तक हर कहीं पसरी हुई नज़र आती है। लेकिन इस सादी से परेशान लोगों की फ़ेरहिस्त लंबी है।

अभी कुछ ही महीने पहले की बात है।

छत्तीसगढ़ में एक बहुश्रृंखला सीमेंट कंपनी के प्रबंधक ने बातों ही बातों में धीरे से कहा— “नाम मत लीजिए सुधा भारद्वाज का। उनके कारण हमारे यहां काम करने वाले मज़दूर हमारे सिर पर चढ़ गए हैं।”

बस्तर में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम को पुलिस के आला अधिकारी ने चेतावनी दी, “अगर आप सुधा भारद्वाज को जानते हैं तो तय मानिए कि आप हमारे नहीं हो सकते।”

लेकिन ऐसी राय रखने वालों से अलग छत्तीसगढ़ में कोंटा से रामानुजगंज तक ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनके लिए वो सुधा दीदी हैं। शिक्षिका सुधा दीदी, वक़ील सुधा दीदी, सीमेंट मज़दूरों वाली सुधा दीदी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वाली सुधा दीदी।

अथशास्त्री रंगनाथ भारद्वाज और कृष्ण भारद्वाज की बेटी सुधा का जन्म अमरीका में 1961 में हुआ था।

1971 में सुधा अपनी मां के साथ भारत लौट आई। जैएनयू में अर्थशास्त्र विभाग की संस्थापक कृष्ण भारद्वाज चाहती थीं कि बेटी वह सब करे, जो वह करना चाहती है।

सुधा कहती हैं, ‘‘वयस्क होते ही मैंने अपनी अमरीकन नागरिकता छोड़ दी। पांच साल तक आईआईटी कानपुर से पढ़ाई के दौरान ही दिल्ली में अपने साथियों के साथ ज़ुगांगी और मज़दूर बस्तियों में बच्चों को पढ़ाना और छात्र राजनीति में मज़दूरों के सवाल की पड़ताल की ओरशा शुरू की।’’

शायद यही कारण है कि आईआईटी टॉपर होने के बाद भी किसी नौकरी के बजाय 1984-85 में वे छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी के मज़दूर आंदोलन से जुड़ गईं।

कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ आना-जाना लगा रहा लेकिन जल्दी ही बॉरिया-बिस्टर समेटकर वे स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ आ गईं।

दिल्ली राजहरा के शहीद अस्पताल में एक मरीज़ को लेकर पहुंचे कोमल देवांगन बताते हैं, “सुधा और उनके साथियों ने मज़दूरों के बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके कपड़े सिलने तक का काम किया। नियोगी जी ने संघर्ष और निर्माण का जो नारा दिया था, सुधा भारद्वाज जैसे लोग उसे धरातल पर लाने वालों में से हैं।”

जुझार मज़दूर नेता शंकर गुहा नियोगी की 1991 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

शंकर गुहा नियोगी की सचिव

रही हैं सुधा भारद्वाज

छत्तीसगढ़ में मज़दूरों के हक्क की लड़ाई में सुधा भारद्वाज उत्तरी तो फिर पलट कर नहीं देखा।

शंकर गुहा नियोगी के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को जब एक राजनीतिक दल की शक़ूल दी गई, तब सुधा भारद्वाज उसकी सचिव थीं।

लेकिन उसके बाद सुधा भारद्वाज अलग-अलग किसान और मज़दूर संगठनों में काम करते हुए भी पद संभालने से बचती रहीं।

वे आज भी अपने को एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता ही मानती हैं।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठनों के समह “छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन” के संयोजक आलोक शुक्ला कहते हैं, “सुधा दीदी, हमारे जैसे लोगों की प्रेरणास्तोष है, जिसका किराया मज़दूर यूनियन को जाता है।

सुधा भारद्वाज कहती हैं, “संगठन में अधिक तंगी तो बनी रही लेकिन हमने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की, अपना मज़दूरों का अस्पताल खोला।”

मज़दूरों के मुक्तदमें लड़ने वाली “जनहित” भी समान विचारधारा वाले साथियों के चंदे से चलती है। मुक्तदमों की ख्रायति ऐसी कि मुंबई हाईकोर्ट ने भी हाल ही में छह लाख रुपये “जनहित” को दिए।

सुधा भारद्वाज कहती हैं, “पीछे मुड़ कर दखती हूं तो मैं ख़ुश होती हूं किंतु मैंने मज़दूरों और आईदिवासियों की लड़ाई में शोड़ा-सा साथ दिया। ऐसे लोग, जिनके जीवन में तमाम दुखों के बाद भी मनव्य होने को बनाए और बचाए रखना पहली प्राथमिकता थी। मैं फिर से ऐसे बीच़े ही जन्म लेना चाहूंगी, इन्हें के बीच़े।”

मज़दूरों से जुड़े मामलों में फ़ैसले भी

पक्ष में आने लगे क्योंकि मज़दूर संगठनों के भीतर काम करने के कारण उसके सारे दाँव पेंच जाने-समझे हुए थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऐसे कई मुक्तदमे लड़े गए।

कुछ सालों बाद “जनहित” नाम से वकीलों का एक ट्रस्ट बनाया और तय किया कि समाज के विचार अलग-अलग समूहों के मुक्तदमे में लड़ें।

बिलासपुर के अपने कार्यालय में फ़ाइलों के बीच उलझी सुधा भारद्वाज का अनुमान है कि उनके ट्रस्ट ने पिछले कुछ सालों में कोई 300 से अधिक मुक्तदमे लड़े हैं, जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक।

मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की छत्तीसगढ़ इकाई की महासचिव होने के नाते मानवाधिकार हनन के अलग-अलग मोर्चे पर सुधा भारद्वाज ने कई लड़ाइयां लड़ी।

बस्तर के फ़ृजी मुरभेड़ों की पड़ताल और फिर उसके मुक्तदमों ने राज्य सरकार को कई अवसरों पर मुश्किल में डाला।

अवैध कोल ब्लॉक, पंचायत कानून का उल्लंघन, बनाधिकार का नानून, औद्योगिकरण के मसले पर भी सुधा भारद्वाज की ज़मीनी लड़ाई की अपनी पहचान है।

अपनी पूरी संपत्ति मज़दूर आंदोलन में लगा देने वाली सुधा भारद्वाज के पास संपत्ति के नाम पर दिल्ली में मां के हिस्से का एक मकान है, जिसका किराया मज़दूर यूनियन को जाता है।

सुधा भारद्वाज कहती हैं, “संगठन में अधिक तंगी तो बनी रही लेकिन हमने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की, अपना मज़दूरों का अस्पताल खोला।”

मज़दूरों के मुक्तदमें लड़ने वाली “जनहित” भी समान विचारधारा वाले साथियों के चंदे से चलती है। मुक्तदमों की ख्रायति ऐसी कि मुंबई हाईकोर्ट ने भी हाल ही में छह लाख रुपये “जनहित” को दिए।

सुधा भारद्वाज कहती हैं, “पीछे मुड़ कर दखती हूं तो मैं ख़ुश होती हूं किंतु मैंने मज़दूरों और आईदिवासियों की लड़ाई में शोड़ा-सा साथ दिया। ऐसे लोग, जिनके जीवन में तमाम दुखों के बाद भी मनव्य होने को बनाए और बचाए रखना पहली प्राथमिकता थी। मैं फिर से ऐसे बीच़े ही जन्म लेना चाहूंगी, इन्हें के बीच़े।”

मज़दूरों से जुड़े मामलों में फ़ैसले भी

गैरकानूनी और निरंकुश गिरफ्तारियां

मुनेश त्यागी.

सरकार ने वरवर रात, सुधा भारद्वाज गौतम नवलखा, वरनोन गोन्जालविज आदि प्रगतिशील, जनवादी, दलित और वार्षिकी कार्यकर्ताओं, वकीलों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, कवियों, लेखकों को गिरफ्तार करके दिखा दिया है वह पूँजिपतियों की राह में आने वाले, किसी भी रोडे और अवरोधों को हटा देना चाहती है। सरकार इन लोगों को अरबन या शहरी नक्सल कह कर गिरफ्तार कर रही है।

जनवादी लेखक संघ मेरठ इकाई इन कानून विरोधी, मनमानी और पूँजिपरस्त कदमों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है इन सबको तुरंत रिहा किया जाये।

इन गिरफ्तारियों की आड में सरकार सबको डराना चाहती है, विरोध की आवाज को दबा देना चाहती है, यह सरकार एकदम कानूनविरोधी, संविधान विरोधी, निरंकुश और मनवानेपन पर उत्तर आई है। वह तर्क या विरोध की आवाज को सुनना ही नहीं चाहती है। यह किसी पर भी कोई आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकती है। सरकार देश को बताये कि उसने किस आधार पर इन वकीलों, कवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और श्रमिक हितकारियों को गिरफ्तार किया है?

ये गिरफ्तारियां आपातकाल की आहट दे रही हैं, सरकार हर उस आवाज को दबा देने पर आमादा है जो किसानों, मज़दूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों व अनुसूचित जातियों दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबा देने वाली चाहती है। अवैध रूप से गिरफ्तार किये गये लोगों का इतिहास बताता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है बल्कि वे तो किसानों, मज़दूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज है। आज अगर हमारा यहां आ गया है तो यही काम कर रहे होते और वे इन सबकी वकालत कर रहे होते हैं।

आज भागतसिंह, बिस्मिल, आजाद, सरदार पटेल और नेता जी सुभाष चंद्र बोस होते तो उन्ह